मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् १९८१

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१

[दिनांक १ मई १९८१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण), में दिनांक ८ मई 1981 को प्रथम बार प्रकाशित की गई,]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा में भर्ती और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, १९८१ है.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) * ''प्रमुख सचिव'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय का * प्रमुख सचिव;

(ख) ''सेवा'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा ;

(ग) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश विधान सभा का अध्यक्ष.

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा का गठन.

३. मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा का गठन किया जायेगा जिसमें * प्रमुख सचिव और ऐसे प्रवर्गों के तथा ऐसी संख्या में अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे जैसा कि राज्यपाल, अध्यक्ष से परामर्श करके, समय-समय पर अवधारित करे.

भर्ती और सेवा की शर्तों का विनियमन.

४. राज्यपाल, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा में भर्ती तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिये नियम, अध्यक्ष से परामर्श करके बना सकेगा:

परन्तु कोई नियम, जो संविधान के अनुच्छेद १८७ के खण्ड(३) के अधीन बनाया गया हो और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक कि वह इस धारा के अधीन बनाये गये नियम द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता.

---

* अधिनियम क्रमांक १६ सन् २००६ द्वारा प्रतिस्थापित.

५. *''(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए सेवा का प्रत्येक सदस्य उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जाएगा: अधिवार्षिकी की आयु.

परन्तु सेवा में का प्रत्येक सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.

(२) सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी उस मास के, जिसमें कि वह बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अन्तिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा;

परन्तु सेवा में का चतुर्थ वर्ग का कोई कर्मचारी जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन के अपराह्न में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा.''

(३) अध्यक्ष, यदि वह विधान सभा सचिवालय के दक्षतापूर्ण कार्य करण के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है, सेवा में के किसी सदस्य के सेवाकाल में अधिवार्षिकी आयु के परे, कुल मिलाकर दो वर्ष से अनधिक कालावधि की वृद्धि कर सकेगा.

''(४)* प्रमुख सचिव या सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्ति को, उसकी २० वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने या उसकी ५० वर्ष की आयु हो चुकने के पश्चात् जो भी पूर्वतर हो, किसी भी समय, बिना कोई कारण बतलाए, उसे तीन मास की लिखित सूचना देकर लोक-हित में सेवानिवृत्त किया जा सकेगा:

परन्तु सेवानिवृत्ति को, सूचना के बदले तीन मास के वेतन का भुगतान अन्तिम आहरित (लास्टड्रान) वेतन की दर से करके, तत्काल प्रभावशील किया जा सकेगा.

---

* अधिनियम क्रमांक १० सन् १९९९ द्वारा प्रतिस्थापित.

** अधिनियम क्रमांक १४ सन् २००१ द्वारा प्रतिस्थापित.

*** अधिनियम क्रमांक १६ सन् २००६ द्वारा प्रतिस्थापित.